भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4678

दिनांक 21.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना

4678. डॉ. कडियम काव्य:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वारंगल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, विशेषकर अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए क्या पहल शुरू की गई है;

(ख) मुद्रा जैसी योजनाओं के अंतर्गत स्थानीय स्टार्टअप्स को प्रदान की गई वित्तीय सहायता या ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या निर्वाचन क्षेत्र में इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): एमएसएमई मंत्रालय, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जो गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में भावी उद्यमियों की सहायता करके मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करती है। पीएमईजीपी के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों से संबंधित लाभार्थियों को लाभार्थियों की विशेष श्रेणी के अंतर्गत कवर किया जाता है, जो उच्चतर सब्सिडी दर और परियोजना लागत में स्वयं के कम अंशदान के लिए पात्र होते हैं।

एमएसएमई मंत्रालय वारंगल सहित पूरे देश में 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब' का भी कार्यान्वयन करता है, ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की सार्वजनिक खरीद में भागीदारी की क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एमएसई से 4% अधिदेशित खरीद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को कौशल विकास, क्षमता निर्माण, बाज़ार संपर्क, वित्तीय सुविधा, निविदा बोली में भागीदारी आदि में पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें की गई हैं।

(ख): प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत, सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) अर्थात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) द्वारा संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, जो ऋण लेने के लिए पात्र हैं और जिसके पास लघु व्यवसाय उद्यम के लिए व्यवसाय योजना है, वह पीएमएमवाई के अंतर्गत विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में आय सृजन क्रियाकलापों के लिए चार ऋण श्रेणियों, अर्थात शिशु (50,000 रुपये तक के ऋण), किशोर (50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण), तरुण (5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण) और तरुण प्लस (10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के ऋण - उन उद्यमियों के लिए, (जिन्होंने दिनांक 24.10.2024 से लागू 'तरुण' श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुकाया है), में 20 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकता है।

(ग): वर्तमान में, वारंगल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****